



सत्यमेव जयते



सं.जिप/संपदा/आवास/2024

संपदा अनुभाग

दिनांक: 03.08.2024

परिपत्र

विषय: आवास आबंटन नियमों के उल्लंघन - के संबंध में।

संदर्भ: शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) की अधिसूचना, दिनांक 16.06.2017.

उपरोक्त के संदर्भ में, ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं जिनमें क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों ने आवास के आस-पास अप्राधिकृत निर्माण करके, अप्राधिकृत व्यक्तियों को रहने की अनुमति देकर, आबंटित आवास को किराये पर देकर और उसमें दुकान या व्यावसायिक गतिविधियां आदि चलाकर आवास आबंटन नियमों का उल्लंघन किया है।

इस संबंध में, कर्मचारियों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे आवास आबंटन नियमों का उल्लंघन करने से बचें। किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्/-

(वी. शिवबालन)

प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में,

- सभी विभागों/अनुभागों/एककों/नर्सिंग अधीक्षक/नर्सिंग महाविद्यालय - संकाय और कर्मचारी सदस्यों के बीच परिचालित करने के लिए।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)/संकायाध्यक्ष (अनुसंधान)/उप निदेशक (प्रशा.) के निजी सचिव।
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/विधि अधिकारी।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. विंग - संस्थान वेबसाइट पर अपलोड करने और सभी कर्मचारियों को एस.एम.एस./ईमेल भेजने के लिए अनुरोध के साथ।
4. प्रभारी अधिकारी, हिन्दी सेल - उक्त को हिन्दी में अनुवाद करने और जिपमेर वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
5. सभी सूचना पट्ट।